خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی، لکھنؤ، اتر پردیش (ہندوستان)
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow, U.P. (India)
U.P. STATE GOVERNMENT UNIVERSITY
(Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of the UGC Act, 1956 & B.Tech Approved by AICTE)

Ref. 1465/REG/KMCLU/2020 Date 22-08-2020

ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ की कार्यपरिषद की 19वीं बैठक दिनांक 22–08–2020 को पूर्वान्ह 11:00 बजे का कार्यवृत्त।

उपस्थिति		
क्रम	अधिकारियों / शिक्षकों का नाम	पदनाम
1.	प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा, मा0 कुलपति / मा0 अध्यक्ष	मा0 अध्यक्ष
2.	माननीय न्यायमूर्ति श्री शबीहुल हसनैन, (राज्यपाल सचिवालय द्वारा नामित)	सदस्य (न्यायिक)
3.	प्रो0 सोमेश कुमार शुक्ल (राज्यपाल सचिवालय द्वारा नामित)	सदस्य
4.	प्रो0 ए0 चटर्जी (राज्यपाल सचिवालय द्वारा नामित)	सदस्य
5.	प्रो0 बी0डी0 मिश्रा (राज्यपाल सचिवालय द्वारा नामित)	सदस्य
6.	श्री राकेश कुमार चौधरी, अधिवक्ता (विधिक परामर्श)	विशेष आमंत्रित
7.	प्रो0 मसऊद आलम, विभागाध्यक्ष, अरबी विभाग।	सदस्य
8.	प्रो0 सैय्यद हैदर अली, विभागाध्यक्ष, व्यवसाय प्रबन्ध विभाग।	सदस्य
9.	प्रो0 एस0एस0ए0 अशरफी, विभागाध्यक्ष, उर्दू विभाग।	सदस्य
10.	डॉ0 तनवीर खदीजा, विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग।	सदस्य
11.	डॉ0 सौबान सईद, एसोसिएट प्रोफ़ेसर, उर्दू विभाग।	सदस्य
12.	डॉ0 मुशीर अहमद, सह आचार्य, व्यवसाय प्रबन्धन विभाग।	सदस्य
13.	डॉ0 मज़हर खालिक, सहायक आचार्य, कम्प्यूटर साइंस विभाग।	सदस्य
14.	डॉ0 नीरज शुक्ल, सहायक आचार्य, वाणिज्य विभाग।	सदस्य
15.	श्री महेन्द्र कुमार भट्ट, वित्त अधिकारी।	विशिष्ट आमंत्रित
16.	श्री अशोक कुमार अरविन्द, कुलसचिव / सचिव	कुलसचिव / सचिव

माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से कुलसचिव द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा कार्यपरिषद के **माननीय अध्यक्ष / माननीय कुलपति, माननीय न्यायमूर्ति श्री शबीहुल हसनैन** व सभी उपस्थित सम्मानित सदस्यों का बैठक में स्वागत किया गया। स्वागत के उपरान्त बिन्दुवार **कार्यपरिषद की 19वीं बैठक दिनांक 22–08–2020** की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

Add:- Sitapur-Hardoi Bypass Road, Lucknow-226013 U.P. (India) Contact:- 0522-2774041-45, Fax-05222774046
Website:- www.uafulucknow.ac.in, Email:- upuafulucknow@gmail.com

कार्यवाही

बिन्दु संख्या–1

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की 19वीं बैठक दिनांक 22–08–2020 की सूचना सम्बन्धी कार्यालय–ज्ञाप पर अनुमोदन।

निर्णय–

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की 18वीं बैठक दिनांक 22–08–2020 की सूचना सम्बन्धी कार्यालय–ज्ञाप पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या–2

कार्यपरिषद की 18वीं बैठक दिनांक 16–07–2020 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि/अनुमोदन।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने कार्यपरिषद की 18वीं बैठक दिनांक 16–07–2020 को सम्पन्न हुई अपनी बैठक में लिये गये निर्णयों की सर्वसम्मति से पुष्टि की।

बिन्दु संख्या–3

कार्यपरिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 08–08–2020 में लिये गये निर्णयों पर पुष्टि/अनुमोदन।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने कार्यपरिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 08–08–2020 को सम्पन्न हुई अपनी बैठक में लिये गये निर्णयों की सर्वसम्मति से पुष्टि की।

बिन्दु संख्या–4

दिनांक 10–08–2020 से दिनांक 21–08–2020 (कम्प्यूटर साइंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी, पत्रकारिता एवं जनसंचार, वाणिज्य, और भूगोल विभाग) तक हुये नियमित शिक्षकों के साक्षात्कार के उपरान्त चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के चयन का अनुमोदन।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने **दिनांक 10–08–2020 से दिनांक 21–08–2020 (कम्प्यूटर साइंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी, पत्रकारिता एवं जनसंचार, वाणिज्य और भूगोल विभाग)** तक हुये नियमित शिक्षकों के साक्षात्कार के उपरान्त चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के लिफाफे माननीय सदस्यों के समक्ष खोले गये, जिसके उपरान्त कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के चयन को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान करते हुये उनकी नियुक्ति की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की तथा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र तत्काल निर्गत करने का भी अनुमोदन प्रदान किया गया। चयनित अभ्यर्थियों का विवरण निम्नवत् है:–

क्र0	अभ्यर्थी का नाम	चयनित पद का नाम	जाति	विभाग / विषय	वेतनमान (रू0)
1.	1. सुश्री अनम फातिमा	सहायक आचार्य	सामान्य	कम्प्यूटर साइंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी	Rs.15600-39100 GP-6000/-
	2. डॉ0 सुमन मिश्रा (वेटिंग) 3. श्री अब्दुल मनाज़िर (वेटिंग)				
2.	1. श्री रज़ा अब्बास हैदरी	सहायक आचार्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	कम्प्यूटर साइंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी	Rs.15600-39100 GP-6000/-
	2. डॉ0 अरूण कुमार (वेटिंग) 3. सुश्री रिचा वर्मा (वेटिंग)				
3.	1. श्री सैय्यद काज़िम असगर रिज़वी	सहायक आचार्य	सामान्य	पत्रकारिता एवं जनसंचार	Rs.15600-39100 GP-6000/-
	2. श्री तरूण कान्त त्रिपाठी (वेटिंग)				
4.	1. श्री सचीन्द्र शेखर शाकुन्त	सहायक आचार्य	अनुसूचित	पत्रकारिता एवं जनसंचार	Rs.15600-39100 GP-6000/-
	2. श्री ब्रिजेन्द्र कुमार सिंह (वेटिंग)				
5.	1.डॉ0 प्रवीन कुमार राय	सह–आचार्य	ई0डब्लू0एस0	भूगोल	Rs.15600-39100 GP-8000/-
	2.डॉ0 मो0 सादिक अली ख़ान (वेटिंग)				
6.	1.डॉ0 सुप्रिया पाठक	सहायक आचार्य	सामान्य	वाणिज्य	Rs.15600-39100 GP-6000/-
	2.सुश्री आफरीन फातिमा (वेटिंग) 3.श्री अनुभव तिवारी (वेटिंग)				
7.	1.डॉ0 आकिल हुसैन	सहायक आचार्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	वाणिज्य	Rs.15600-39100 GP-6000/-
	2.श्रीमती जैबुन निसा (वेटिंग)				
8.	1.डॉ0 मनीष कुमार	सहायक आचार्य	अनुसूचित	वाणिज्य	Rs.15600-39100 GP-6000/-
	2.श्री जुल्फकार अली (वेटिंग)				

The Appointment shall be, subject to final outcome of the Writ Petition no.11723/2020(S/S), Dr. Ashish Kumar Vs State of UP and others.

बिन्दु संख्या–5

CAS (CAREER ADVANCEMENT SCHEME) के अन्तर्गत डॉ0 एहतेशाम अहमद, सह–आचार्य, वाणिज्य विभाग एवं डॉ0 चन्दना डे, सह–आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग को आचार्य के पद पर पदोन्नति को अनुमोदन।

निर्णय–

माननीय कार्यपरिषद द्वारा CAS (CAREER ADVANCEMENT SCHEME) के अन्तर्गत डॉ0 एहतेशाम अहमद, सह–आचार्य, वाणिज्य विभाग को स्टेज 4 से स्टेज 5 पर आचार्य पद पर एवं डॉ0 चन्दना डे, सह–आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग को आचार्य पद पर स्टेज 4 से स्टेज 5 पर आचार्य पद पर पदोन्नति को सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त डॉ0 एहतेशाम अहमद को दिनांक: 23–08–2016 एवं डॉ0 चन्दना डे को दिनांक: 18–07–2016 से आचार्य पद पर पदोन्नति हेतु आदेश निर्गत करने हेतु निर्देशित किया गया।

बिन्दु संख्या–6

अद्यतन रिक्त पदो के सापेक्ष योग्य व्यक्ति न मिलने की दशा में रिक्त रह जाने के सम्बन्ध में सीटों पर विचार।

निर्णय–

कार्य परिषद के सदस्य प्रो0 सोमेश कुमार शुक्ल एवं प्रो0 ए0 चटर्जी द्वारा यह कहा गया कि विश्वविद्यालय की शिक्षा गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु रिक्त हुये पदों को तुरन्त भरा जाये इसका सभी सदस्यों ने एक मत से समर्थन किया एवं माननीय कुलपति को अग्रिम कार्यवाही हेतु अधिकृत किया। वर्तमान चयन में माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं का संज्ञान लेते हुये माननीय कुलपति ने आवश्यकतानुसार विभागों में विषयवार आरक्षण आदि को नियमानुसार लागू करने के लिए और उन्हें सहयोग देने के लिए एक समिति बनाने की बात की जिसका कार्यपरिषद के सदस्यों ने समर्थन करते हुए प्रो0 सोमेश कुमार शुक्ल एवं प्रो0 ए0 चटर्जी, मा0 सदस्य कार्यपरिषद की एक समिति का गठन किया गया, उक्त समिति विश्वविद्यालय के विधिक सलाहकार श्री राकेश कुमार चौधरी से विधिक मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए अपना आलेख माननीय कुलपति महोदय को देगी एवं माननीय कुलपति महोदय रिक्त पदों को भरने हेतु शीघ्रता शीघ्र अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निर्देश देंगे।

बिन्दु संख्या–7

अन्य बिन्दु मा0 कुलपति जी/अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

निर्णय–

मा0 कुलपति/अध्यक्ष कार्य परिषद को सम्बोधित पत्र की प्रति प्रो0 ए0 चटर्जी को उपलब्ध कराते हुए उन्हें पत्र पढ़कर सुनाने के लिए कहा गया। प्रो0 ए0 चटर्जी द्वारा पत्र पढ़कर सुनाया गया जिससे ज्ञात हुआ कि आउटसोर्सिंग कर्मियों के भुगतान के सम्बन्ध में मेसर्स लायलटेक मैनेजमेण्ट प्रा0 लि0 द्वारा भुगतान आदि के सम्बन्ध में अनायास विलम्ब किया गया है तथा इसमें अनिमितता एवं अमर्यादित व्यवहार परिलक्षित है। अतः कार्य परिषद् द्वारा मेसर्स लायलटेक मैनेजमेण्ट प्रा0 लि0 के प्रकरण की जाँच हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत करती है, तदानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی، لکھنؤ، اتر پردیش (ہندوستان)
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow, U.P. (India)
U.P. STATE GOVERNMENT UNIVERSITY
(Recognised Under Section 2(f) & 12(B) of the UGC Act, 1956 & B.Tech Approved by AICTE)

उक्त के अतिरिक्त आउटसोर्सिंग कर्मियों द्वारा दिए गए पत्र को भी कार्य परिषद के समक्ष रखा गया जिसके माध्यम से आउटसोर्सिंग कर्मियों को विश्वविद्यालय में संविदा अथवा सीधी भर्ती पर नियुक्ति हेतु अनुरोध किया गया।

उक्त पत्र पर कार्य परिषद के सदस्यों द्वारा विचार किया गया एवं यह भी विचार किया गया कि विश्वविद्यालय में होने वाले अनेकों गोपनीय कार्य नियमित कर्मचारियों की कमी के कारण इन्हीं कर्मचारियों द्वारा किया जाता है क्योंकि यह सेवा प्रदाता कंपनी के कर्मचारी होते हैं एवं विश्वविद्यालय का इनके ऊपर कोई भी प्रशासनिक अधिकार नहीं होता है ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय की गोपनीयता के भंग होने का भी खतरा बना रहता है। विश्वविद्यालय में नियमित कर्मचारियों की कमी के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती रहती है। कार्य परिषद द्वारा इस बात पर भी विचार किया गया कि ये सभी कर्मचारी पिछले कई वर्षों से विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं और इनके कार्यों की गुणवत्ता आदि भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निकट से देखी जा चुकी है। अतः कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की इन विषम परिस्थितियों को शासन को अवगत कराया जाए एवं इन कर्मचारियों को विश्वविद्यालय द्वारा संविदा/दैनिक वेतन/सीधी भर्ती के माध्यम से इनकी सेवाएँ प्राप्त करने हेतु शासन से अनुरोध किया जाए।

अध्यक्ष महोदय एवं कार्यपरिषद के सभी सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

22/6/2020 | 22/6/2020
(अशोक कुमार अरविन्द) | (प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा)
कुलसचिव/सचिव, कार्यपरिषद। | मा0 कुलपति/अध्यक्ष, कार्यपरिषद